रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03082022-237878
CG-DL-E-03082022-237878

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 536]	नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 1, 2022/श्रावण 10, 1944
No. 536]	NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 1, 2022/SHRAVANA 10, 1944

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 2022

सा.का.नि. 609(अ).—रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र (क्रिस), जो 1860 के सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के XXI के अंतर्गत पंजीकृत एक स्वायत्त सोसाइटी है, में (i) निदेशक (परिचालन), (ii) निदेशक (यात्री प्रणालियां), (iii) निदेशक (वित्त) पदों के लिए एतद्वारा निम्नलिखित भर्ती नियम बनाए जाते हैं।

(1) संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ :

(क) ये नियम "रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र (क्रिस) में (i) निदेशक (परिचालन), (ii) निदेशक (यात्री प्रणालियां), (iii) निदेशक (वित्त) पदों के लिए भर्ती नियम, 2022" कहलाएंगे।

(ख) ये नियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

(2) पदनाम :

(i) निदेशक (परिचालन), (ii) निदेशक (यात्री प्रणालियां), (iii) निदेशक (वित्त)

(3) वेतनमान :

7वें केंद्रीय वेतन आयोग वेतन मैट्रिक्स के स्तर 15 में 1,82,200-2,24,100/- रु. (केंद्रीय डीए सहित)।

(4) नियुक्ति की विधि : समाहृन/प्रतिनियुक्ति/सीधी भर्ती

(5) भर्ती की पद्धति:

(क) पद - चयन पद्धति द्वारा भरे जाएंगे।

(ख) रेल मंत्रालय निदेशक/निदेशकों के रिक्त पदों को भरने हेतु चयन के लिए खोजबीन-सह-चयन समिति गठित करेगा। खोजबीन-सह-चयन समिति में समिति के अध्यक्ष के रूप में अध्यक्ष एवं सीईओ, रेलवे बोर्ड और सदस्यों के रूप में सचिव/इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी और सदस्य (ओ एंड बीडी)/रेलवे बोर्ड (निदेशक/वित्त के मामले में, सदस्य/ओ एंड बीडी/रेलवे बोर्ड को सदस्य (वित्त)/रेलवे बोर्ड प्रतिस्थापित करेगा) शामिल होंगे। खोजबीन-सह-चयन समिति चयन के लिए अपनी स्वयं की प्रक्रिया बनाए। समिति नियुक्ति के लिए उपयुक्त उम्मीदवार की और यदि उचित समझे तो, स्टैंडबाय पैनल में एक अन्य उम्मीदवार की सिफारिश करेगी। नियुक्ति के लिए माननीय रेल मंत्री का अनुमोदन अपेक्षित होगा।

(ग) खोजबीन-सह-चयन समिति द्वारा सिफारिश किया गया पैनल एक वर्ष तक मान्य होगा।

(6) नियोजन की स्थिति :

आवेदक, आवेदन की तारीख के साथ-साथ साक्षात्कार की तारीख को निम्नलिखित में से किसी एक में नियमित आधार पर नियोजित होना चाहिए – और न कि ठेके पर/तदर्थ आधार पर:

(क) केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) (किसी भी सीपीएसई के बोर्ड में पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशक शामिल हैं);

(ख) केंद्र सरकार जिसमें संघ के सशस्त्र बल और अखिल भारतीय सेवाएं शामिल हैं;

(ग) ऐसे राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (एसपीएसई) जहां वार्षिक टर्नओवर *1000 करोड़ रु. या उससे अधिक है;

(घ) निजी क्षेत्र की कंपनी जहां वार्षिक टर्नओवर *1000 करोड़ रु. या उससे अधिक हो। सूचीबद्ध कंपनियों के उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी।

(*जिस कैलेंडर वर्ष में पद विज्ञापित किया गया है उससे पहले के तीन वित्तीय वर्षों के औसत लेखापरीक्षित वार्षिक टर्नओवर पर विचार किया जाएगा)

(7) अर्हता: आवेदक के पास नीचे दिए गए पैरा (i) और (ii) में यथा-निर्धारित अर्हताएं होनी चाहिएं:

(i) <u>सभी निदेशकों के लिए (निदेशक/(वित्त) के अतिरिक्त)</u>

किसी भी मान्यताप्राप्त संस्थान से इंजीनियरी स्नातक अथवा इलैक्ट्रॉनिक्स और संचार अथवा सूचना प्रौद्योगिकी अथवा कंप्यूटर साइंस अथवा कंप्यूटर इंजीनियरी अथवा इलैक्ट्रिकल और इलैक्ट्रॉनिक्स अथवा इलैक्ट्रॉनिक्स में प्रौद्योगिकी स्नातक अथवा कंप्यूटर एप्लीकेशन में मास्टर डिग्री।

<u>निदेशक (वित्त) के लिए</u>

किसी भी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अच्छे शैक्षणिक रिकॉर्ड के साथ कॉमर्स/अकाउंटिंग/फाइनेंस में स्नातक डिग्री अथवा फाइनेंस/चार्टर्ड अकाउंटेंट/कॉस्ट अकाउंटेंट में स्नातकोत्तर/एमबीए।

(ii) केंद्र सरकार/संघ के सशस्त्र बलों/अखिल भारतीय सेवाओं के आवेदकों को उपरोक्त (i) में दी गई शैक्षिक अर्हता से छूट प्राप्त होगी बशर्ते आवेदकों को निम्नलिखित पैरा 8 (क)(क) में निदेशक (वित्त) के अतिरिक्त निदेशकों के लिए और 8 (ख)(क) में निदेशक/वित्त के लिए यथा-उल्लिखित उपयुक्त अनुभव हो।

(8) अनुभव:

(क) <u>सभी निदेशकों के लिए (निदेशक/वित्त के अलावा)</u>

(क) केन्द्र सरकार/संघ के सशस्त्र बलों/अखिल भारतीय सेवाओं के आवेदकों के पास प्रतिष्ठित बड़े संगठनों में प्रबंधन के वरिष्ठ स्तर पर पर्याप्त अनुभव होना चाहिए। चयन के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों के डिज़ाइन डेवलपमेंट और सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली/सॉफ्टवेयर के कार्यान्वयन सहित शैक्षणिक पृष्ठभूमि एवं व्यावसायिक अनुभव और अभिदर्शन को वरीयता दी जाएगी।

(ख) सीपीएसई/एसपीएसई/निजी क्षेत्रों के आवेदकों के पास सूचना प्रौद्योगिकी अथवा प्रणाली कार्यान्वयन के क्षेत्र में न्यूनतम 20 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, जिसमें से पिछले दस वर्षों के दौरान कम-से-कम 3 वर्ष का अनुभव किसी सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संगठन में वरिष्ठ प्रबंधन स्तर पर होना चाहिए।

(ख) <u>निदेशक के लिए (वित्त)</u>

(क) केन्द्र सरकार/संघ के सशस्त्र बलों/अखिल भारतीय सेवाओं के आवेदकों के पास प्रतिष्ठित बड़े संगठनों में प्रबंधन के वरिष्ठ स्तर पर पर्याप्त अनुभव होना चाहिए। चयन के दौरान वित्तीय प्रबंधन, लेखांकन और वित्तीय संस्थानों के साथ कार्य करने सहित शैक्षणिक पृष्ठभूमि एवं व्यावसायिक अनुभव और अभिदर्शन को वरीयता दी जाएगी।

(ख) सीपीएसई/एसपीएसई/निजी क्षेत्रों के आवेदकों के पास वित्तीय प्रणाली और लेखांकन के क्षेत्र में 20 वर्ष का न्यूनतम अनुभव होना चाहिए, जिसमें से पिछले दस वर्षों के दौरान कम-से-कम 3 वर्ष का अनुभव वाणिज्यिक लेखांकन/कम्पनी लेखा और निविदाओं/संविदाओं का निष्पादन करने में वरिष्ठ प्रबंधन स्तर पर होना चाहिए।

(9) पात्र वेतनमान:

(i) केन्द्रीय सरकार/अखिल भारतीय सेवाओं के आवेदक आवेदन की तारीख को भारत सरकार में संयुक्त सचिव के स्तर के पद पर नियुक्त होने चाहिए अथवा उसके समतुल्य वेतनमान पर हों।

(ii) संघ के सशस्त्र बलों के आवेदक आवेदन की तारीख को थलसेना में मेजर जनरल अथवा नौसेना/वायुसेना में समकक्ष पद पर कार्यरत होने चाहिए।

(iii) सीपीएसई के आवेदक 51,300-73,000/- रुपए (आईडीए – पद 01.01.2007) अथवा 1,20,200-2,80,000/- रुपए (आईडीए पद 01.01.2017) अथवा उच्चतर वेतनमान पर कार्यरत होने चाहिए।

(iv) केन्द्र/राज्य सरकार के अधीन स्वायत्त निकायों/सोसाइटियों से वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड श्रेणी/वेतनमान या उच्चतर ग्रेड के आवेदक पात्र होंगे।

(v) राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों/निजी सेक्टर क्षेत्रों के आवेदक, आवेदन की तारीख को बोर्ड के स्तर के पद पर या बोर्ड स्तर के तत्काल निचले पद पर कार्यरत होने चाहिए।

(vi) वे सरकारी अधिकारी, जो सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों/स्वायत्त निकायों आदि में प्रतिनियुक्ति पर हैं, उन्हें उनके मूल संवर्ग में समान स्तर के अधिकारियों के साथ बराबर तथा मूल संवर्ग में उनके ग्रेड/वेतनमान के आधार पर माना जाएगा।

(10) आयु-सीमा:

रिक्ति की सूचना की अंतिम तारीख को उम्मीदवारों की आयु 55 वर्ष से अधिक न हो।

(11) नियुक्ति की अवधि:

नियुक्ति की अवधि 5 वर्ष होगी अथवा जब तक अधिकारी अधिवार्षिता की आयु प्राप्त नहीं कर लेता, जो भी पहले हो। अधिवार्षिता की आयु 60 वर्ष होगी।

(12) कार्यकाल की अवधि का विस्तार:

कार्यकाल की अवधि में विस्तार के अनुमोदन का प्राधिकार माननीय रेल मंत्री को होगा।

(13) शिथिल/आशोधन करने की शक्तियाँ:

इन नियमों को शिथिल और/अथवा आशोधन करने का प्राधिकार केंद्र सरकार में निहित होगा।

(14) टिप्पण:

(क) आवेदकों को निर्धारित फॉर्मेट में आवेदन प्रस्तुत करना होगा और संबंधित क्षेत्र में किए गए कार्य एवं प्राप्त अनुभव का विवरण विस्तार में देना होगा। उन्हें अपनी पात्रता के समर्थन में दस्तावेज़ भी प्रस्तुत करने होंगे।

(ख) सरकारी सेवा, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और स्वायत्त निकायों/सोसाइटियों के आवेदकों को उचित माध्यम से सेवा प्रमाणपत्र और कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपार्टों की सत्यापित प्रतियों सहित संगत दस्तावेज़ों के साथ अपना आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

(ग) पात्रता के लिए कट ऑफ तारीख रिक्ति सूचना के अनुसार आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख होगी।

[फा. सं. 2021/ई(ओ)II/40/2]

आर. एन. सिंह, सचिव

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th July, 2022

G.S.R. 609(E).—In exercise of the powers conferred on the Ministry of Railways (Railway Board), the following Recruitment Rules are hereby made for the posts of (i) Director (Operations), (ii) Director (Passenger Systems), (iii) Director (Finance) in Centre of Railway Information System (CRIS), an Autonomous Society registered under the Societies Registration Act, XXI of 1860.

(1) Short title and commencement:

(a) These rules may be called the "Recruitment Rules for the posts of (i) Director (Operations), (ii) Director (Passenger Systems), (iii) Director (Finance) in Centre for Railway Information System (CRIS), 2022".

(b) These rules shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

(2) Title of the posts:

(i) Director (Operations), (ii) Director (Passenger Systems), (iii) Director (Finance)

(3) Pay Scale:

Rs. 1,82,200-2,24,100/- (with Central DA) in Level 15 of the 7th CPC Pay Matrix.

(4) Mode of appointment : Absorption/Deputation/Direct Recruitment

(5) Method of recruitment:

(a) The posts shall be filled by the method of selection.

(b) The Ministry of Railways shall constitute a Search-cum-Selection Committee for conducting selection to fill up vacancy of the posts of Director(s). The Search-cum-Selection Committee shall comprise of Chairman & CEO, Railway Board as Chairman of the Committee and include Secretary/Electronics & IT and Member (O&BD)/Railway Board as Members (In case of Director(Finance), the Member (Finance)/Railway Board will replace Member/O&BD/RB). The Search-cum-Selection Committee may devise their own procedure for selection. The Committee shall recommend a suitable candidate for appointment and, if considered appropriate, another candidate in the standby panel. Approval of the Hon'ble Minister of Railways shall be required for the appointment.

(c) The panel recommended by the Search-cum-Selection Committee shall be valid for one year.

(6) Employment status:

The applicant must, on the date of application, as well as on the date of interview, be employed in a regular capacity – and not in a contractual/ad-hoc capacity – in one of the followings:

(a) Central Public Sector Enterprise (CPSE) (including a full-time functional Director in the Board of a CPSE);

(b) Central Government including the Armed Forces of the Union and All India Services;

(c) State Public Sector Enterprise (SPSE) where the annual turnover is *Rs 1000 crore or more;

(d) Private Sector company where the annual turnover is *Rs. 1000 crore or more. Preference would be given to candidates from listed Companies.

(* The average audited annual turnover of three financial years preceding the calendar year in which the post is advertised shall be considered)

(7) Qualification: Applicant must have the qualifications as laid in para (i) and (ii) below:

(i) For all Directors (other than Director/(Finance)

Bachelor of Engineering or Bachelor of technology in Electronics and Communication or Information Technology or Computer Science or Computer Engineering or Electrical and Electronics or Electronics or Master's Degree in Computer Applications from recognized Institution.

For Director (Finance);

Bachelors Degree in Commerce/Accounting/Finance with a good academic record from recognized University or Masters/MBA in Finance/Charted Accountant/Cost Accountant.

(ii) Applicants from the Central Government/Armed Forces of the Union/All India Services will be exempted from the educational qualification as per (i) above provided the applicants have the relevant experience as mentioned in Para 8 (A)(a) below for Directors other than Director (Finance) and 8 (B)(a) below for Director/Finance.

(8) Experience:

(A) For all Directors (other than Director/Finance)

(a) Applicants from Central Government/Armed Forces of the Union/All India Services should possess adequate experience at a senior level of management in a large organization of repute. Academic Background & Professional experience and exposure to IT systems including design development and implementation of IT systems/Software would be given due weightage during selection.

(b) Applicants from CPSEs/SPSEs/Private Sector should possess minimum 20 years of experience in the area of Information Technology or System Implementation of which at least 3 years should be at senior management level in an Information Technology related organization during the preceding ten years.

(B) For Director (Finance)

(a) Applicants from Central Government/Armed Forces of the Union/All India Services should possess adequate experience at a senior level of management in a large organization of repute. Academic background and Professional experience and exposure to Financial Management, Accounting and dealing with financing institutions, would be given due weightage during selection.

(b) Applicants from CPSEs/SPSEs/Private Sector should possess minimum 20 years of experience in the area of Financial Systems and Accounting of which at least 3 years should be at senior management level in commercial accounting/company accounts and experience in dealing with tenders/contracts during the preceding ten years.

(9) Eligible Pay Scales :

(i) Applicants from Central Government/All India Services should be holding a post of the level of Joint Secretary in Government of India or carrying equivalent scale of pay on the date of application.

(ii) Applicants from the Armed Forces of the Union should be holding a post of the level of Major General in the Army or equivalent rank in Navy/Air force on the date of application.

(iii) Applicants from CPSEs should be working in the scale of pay of Rs. 51,300-73,000/- (IDA – post 01.01.2007) or Rs. 1,20,200-2,80,000/- (IDA post 01.01.2017) or higher.

(iv) Applicants from Autonomous Bodies/Societies under the Central/State Government in SAG equivalent grade/pay scale or higher would be eligible.

(v) Applicants from the State Public Sector Enterprises/Private Sector should be working at Board level position or at a post immediately below the Board level on the date of application.

(vi) Government officers working on deputation in PSUs/autonomous bodies etc. would be treated at para with their peers in the parent cadre and on the basis of their grade/pay scale in the parent cadre.

(10) Age-Limit:

Not more than 55 years as on the closing date of the Vacancy Notice.

(11) Period of Appointment:

The period of appointment shall be 5 years or till the officer attains the age of superannuation, whichever is earlier. The age of superannuation will be 60 years.

(12) Extension of tenure:

Authority to approve extension of tenure will vest in the Hon'ble Minister of Railways.

(13) Powers to relax/modify:

Authority to relax and/or modify these Rules shall vest in the Central Government.

(14) Note:

(a) Applicants would be required to submit applications in the prescribed format and state in detail the work done and experience gained in the relevant field. They would also be required to submit documents in support of their eligibility.

(b) Applicants from Government Service, Public Sector Undertakings and Autonomous Bodies/Societies will be required to submit their applications through proper channel along with relevant documents including service certificate and attested copies of APARs.

(c) Cut-off date for eligibility will be the closing date for submission of applications as per the Vacancy Notice.

[F. No. 2021/E(O)II/40/2]

R. N. SINGH, Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2022.08.03 19:45:06 +05'30'